न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 46 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

1. मु. बसन्ती बाई बेवा भंवरलाल जी नागदा, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सोहन देवी (पिता भंवरलाल जी) पत्नी रतनलाल जी जो ी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलान्टगण

बनाम

1. एकलिंग जी स्थान कैला ापुरी जरिये संरक्षक श्री अरविन्द सिंह जी मेवाड़ पिता स्वर्गीय श्री भगवत सिहं जी मेवाड़, निवासी सिटी पैलेस, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव
दिनांक 09.10.2019 प्र.सं. 304 / 19

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 2

———/———

निर्णय **दिनांक 13–12–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भुवाणा में आराजी नंबर 2342 रकबा 0.0600 हैक्टर एवं 2432 रकबा 0.0700 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.1300 हैक्टर भूमि स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:07 IST
Reason: SelfAttested

है, जिसके साबिक आराजी नंबर 2506 रकबा 9 बिस्वा एवं 2496 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 16 बिस्वा है। मूल पुरूश कीका जी होकर उनका सजरा निम्नानुसार है :–

कीका
।
——————————————
। ।
डालचन्द ————————
(गोद आया) । ।
। नन्दा डालचन्द
भंवरलाल (ला औलाद फोत) (गोद गया)

उपरोक्त सजरे अनुसार वादी भंवरलाल कीका जी का एक मात्र वारिस होकर विवादित आराजियात पर काबिज है। पूर्व में वादग्रस्त साबिक आराजियात वादी के पूर्वाधिकारी खड़मदार दर्ज थे, जिन पर वादी अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर का त करता चला आ रहा है, किन्तु सेटलमेन्ट के समय उक्त साबिक आराजियात से बने हाल आराजी नंबर 2342 व 2432 श्री एकलिंग जी स्थान कैला ापुरी के नाम दर्ज कर दी गयी है, जो बिना अधिकार के होकर वादी के विरूद्ध बेअसर व भाून्य है। अतः वादग्रस्त आराजियात में वादी को खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आदे ा 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात एकलिंग जी की निजी सम्पत्ति है, जिस पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा, न ही कोई अधिकार है। विवादित आराजियात की किस्म आबादी दर्ज होने से राजस्व न्यायालय का श्रणाधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 09–10–2019 से प्रतिवादी का आदे ा 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:07 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिसके जवाब में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी ने अपने आदे ा 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन में कहीं पर भी यह नहीं बताया कि वादी का वाद किस प्रकार बार्ड बाई लॉ है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि अवाप्त होने से आवासीय होना मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रतिवादी का जवाबदावा लेकर तनकियात कायम कर साक्ष्य लेखबद्ध कर गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेशित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1045, आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 1331, आर.बी.जे. 2009 पेज 310, आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 1056, आर.बी.जे. 2003 पेज 73, डब्ल्यू.एल.एन. 2012 (3) पेज 327 एवं आर.एल. डब्ल्यू. 2011 (4) पेज 3420 प्रस्तुत की।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात श्री एकलिंग जी ट्रस्ट की होकर उनकी निजी सम्पत्ति है एवं उक्त मंदिर श्री एकलिंग जी ट्रस्ट के अधीन समाहित मंदिरों में से एक है। स्वयं अपीलान्ट/वादी द्वारा किये गये कथनों एवं दस्तावेजों के अनुसार विवादित आराजियात मेवाड़ बन्दोबस्त के पूर्व से ही श्री एकलिंग जी स्थान कैला ापुरी के नाम दर्ज रही है। वादी के पूर्वज मात्र मूर्ति की ओर से कृशि कार्य करते थे। धारा 16 व 46 राजस्थान का तकारी अधिनियम के अनुसार अल्प वयस्क मूर्ति की भूमि किसी भी व्यक्ति के नाम काननून दर्ज नहीं की जा सकती, इस कारण वाद बार्ड बाई लॉ है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. (26) 2019 पेज 351, आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 1347 एवं आर.आर.टी. 2005 (5) पेज 774 प्रस्तुत की।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:07 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन कर प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर मनन किया। जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड़ संवत् 1987 में विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्री एकलिंग जी स्थान कैला ापुरी के खातेदारी में दर्ज है एवं ि ाकमी के कॉलम में वादी के पूर्वाधिकारियों का नाम दर्ज है एवं जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 में भी विवादित आराजियात एकलिंग जी स्थान देह कैला ापुरी के नाम दर्ज होकर नाम कृशक के कोलम में वादी के पूर्वाधिकारी का नाम दर्ज है, जिससे स्पश्ट वादग्रस्त आराजियात श्री एकलिंग जी कैला ापुरी के खातेदारी की होकर वादी के पूर्वाधिकारी अल्प वयस्क मूर्ति की ओर से मात्र का त करते थे। ऐसी स्थिति में धारा 16 व 46 राजस्थान का तकारी अधिनियम अनुसार भी कानूनन अल्प वयस्क मूर्ति की भूमि के खातेदारी अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिये जा सकते। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि विवादित आराजियात का अवार्ड जारी होकर विवादित आराजियात को नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम आबादी में दर्ज किये जाने का आदे ा हुआ है एवं अवाप्ति अवार्ड भी मंदिर के नाम जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में आबादी भूमि का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का आदे ा 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार का वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज करने का जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से कारण लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09–10–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:07 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.** .....

मु.बसन्तीबाई बेवा भंवरलाल जी नागदा, जरिये निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला मेवाड़, नि0 उदयपुर व अन्य

बनाम

श्री एकलिंग जी स्थान कैला ापुरी संरक्षक श्री अरविन्द सिंह जी सिटी पैलेस, उदयपुर व अन्य

अपील नं०.....**46 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **बड़गांव** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**09**.....माह.....**10**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**13**.....माह.....**12**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री ओंकारलाल डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नरपतसिंह चुण्डावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09–10–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**13**.....माह.....**12**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:07 IST
Reason: SelfAttested